संख्या-98/2020/3242/71-1-2020-जी-292/2013

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 24 अगस्त, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मेडिकल कालेज गोरखपुर में माड्यूलर ओ0टी0 के उच्चीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/210, दिनॉक 11-08-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर में माड्यूलर ओ0टी0 के उच्चीकरण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 2223.36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-3/2402/71-1-14-जी-202/2012, दिनॉक 19-09-2014 द्वारा प्रदान की गई। उक्त योजना के लिए निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0 1922.71 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है:-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1.	3/2402/71-1-14-जी-292/2012, दिनॉक 19-09-2014	**220.00**
2.	199/2015/1905/71-1-15-जी-292/13, दिनॉक 10-12-15	**480.71**
3.	193/2016/2200/71-1-16-जी-292/13, दिनॉक 06-09-16	**700.71**
4	53/2017/473/71-1-16-जी-292/13, दिनॉक 28-03-17	**148.62**
5.	46/2018/968/71-1-18-जी-292/13, दिनॉक 15-03-18	**222.67**
6.	80/2018/1161/71-1-18-जी-292/13, दिनॉक 28-03-18	**150.00**
	योग-	**1922.71**

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनॉक 28.03.2017 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 148.62 लाख टोकन अपलोड न होने के कारण लैप्स हो गयी है। इस प्रकार अब प्रश्नगत कार्य हेतु 1774.09 का व्यय किया जा चुका है।

3- आपके उक्त पत्र के क्रम में मेडिकल कालेज गोरखपुर में माड्यूलर ओ0टी0 के उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष रू0 3,38,11,000/- (रू0 तीन करोड़ अड़तीस लाख ग्यारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
4- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते/डाकघर में नही रखा जायेगा।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनॉक 26.08.2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24.03.2020 तथा शासनादेश 07.04.2020 एवं 11.04.2020 में दी गई व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7- प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनॉक 07.04.2020 के प्रतिबंधों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संबंधित वित्त नियंत्रक का होगा।
9- शासनादेश संख्या-3/2402/71-1-14-जी-202/2012, दिनॉक 19-09-2014 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-43- मेडिकल कालेज, गोरखपुर-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:- 98/2020/3242(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।